

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 68] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 26, 1981/फाल्गुन 7, 1902
No. 68] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 26, 1981/PHALGUNA 7, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ सख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 1981

सीमा-शुल्क

सा. का. नि. 79(ई.):—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम,
1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उप-धारा (3) के खण्ड (क) के उप-खण्ड
(1) के अन्वय में, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की
अधिसूचना सं. 221-सीमा-शुल्क (सा. का. नि. सं. 349-ई), तारीख 13

नवम्बर, 1980 को अभिक्रान्त करते हुए, यह अवधारित करती है कि उक्त अभिनियम की धारा 14 के प्रयोजनों के लिए, रूसी रूबल का भारतीय करेंसी में और भारतीय करेंसी का रूसी रूबल में संपरिवर्तन करने के लिए विनिमय दर 9.7396 रुपये होगी।

[सं. 20-ए-सी. 503/2/81-सी. 503-6]

ज. बी. नागरकर, अध्यक्ष, सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th February, 1981

CUSTOMS

G.S.R. 79(E).—In pursuance of sub-clause (i) of clause (a) of sub-section (3) of section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue No. 224-Customs (G.S.R. No. 649(E) dated the 13th November, 1980, the Central Government hereby determines that, for the purpose of section 14 of the said Act, the rate of exchange for conversion of one Russian Rouble into Indian currency or vice versa, shall be rupees 9.7396.

[No. 20A-Customs/F. No. 503/2/81-Cus.VI.]

Z. B. NAGARKAR, Under Secy.